मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 02/03/2016

क्रमांक एफ–25–2/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N $23^0$36'41.2" से N $23^0$37'41.4" उत्तर अक्षांश तथा E $79^0$30'54.8" से E $79^0$31'13.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला	–	दमोह	तहसील	–	तेन्दूखेड़ा
वनमण्डल	–	दमोह (सा0)	वन परिक्षेत्र	–	तेजगढ़

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	भैसखार दक्षिण	दिनारी	पहाड़ चट्टान	655	114.35	उत्तर – संरक्षित वनखण्ड 57 भैसखार के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 122 की दक्षिणी सीमा के मुनारा क्रमांक 133/6 से 125/6 तक कृत्रिम वन सीमा
						पूर्व – मुनारा क्रमांक 125/6 से 99 तक संरक्षित वनखंड 54 कटंगी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 117 की पश्चिमी कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखंड 50 परासई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 145 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 99 से 89 तक कृत्रिम वन सीमा
						दक्षिण – आरक्षित वनखंड 50 परासई के कक्ष क्र. आर.एफ. 144 की उत्तरी सीमा के मुनारा क्र. 89 से 84 तक कृत्रिम वन सीमा
						पश्चिम – मुनारा क्रमांक 84 से 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से 133/6 तक प्रस्तावित संरक्षित वनखंड की कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम दिनारी की राजस्व भूमि (कृषि भूमि) की पूर्वी सीमा हैं।

Scanned by CamScanner

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC013/2012-BHO/1280 दिनांक 14.07.2014 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC061/2012-BHO/919 दिनांक 25.04.2014 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC019/2012-BHO/1284 दिनांक 15.07.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्रमशः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह की स्वीकृत परियोजना बांसाकला जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.79 हेक्टेयर वनभूमि, करारिया जलाशय परियोजना में प्रभावित 6.95 हेक्टेयर वनभूमि, बडेरा जलाशय परियोजना में प्रभावित 22.10 हेक्टेयर बड़े झाड़ की राजस्व वनभूमि तथा प्रस्तावित पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.59 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 114.35 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 114.35 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र.02–अ/59 वर्ष 2012–13 दिनांक 16.04.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेन्दूखेड़ा, जिला–दमोह के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

Scanned by CamScanner